भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुष विकास अनुभाग)

****

चिकित्सीय महत्व यात्रा के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत कौशल विकास की केंद्रीय क्षेत्रक योजना

1. पृष्ठभूमि: आयुषमंत्रालय ने कुशल जनशक्ति की उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत कौशल विकास घटक के साथ एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना – चिकित्सीय महत्व यात्राविकसित की है।

2. योजना के उद्देश्य:

i. आयुष विशिष्ट कुशल मानव संसाधन विकसित करना।
ii. मौजूदा कुशल मानव संसाधनों की क्षमता बढ़ाना।
iii. सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
iv. आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायक अवसंरचना विकसित करना।

3. योजना घटक:

इस योजना के निम्नलिखित घटक होंगे:

i. विभिन्न आयुष कौशल पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम (3 महीने की अवधि तक)।
ii. सभी कौशल लघु पाठ्यक्रमों में 30 दिन का व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक हिस्सा होगा।एक महीने से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए, प्रशिक्षण की शेष अवधि कक्षा प्रशिक्षण (ऑनलाइन या भौतिक मोड के जरिए) होगी या स्वयं शिक्षार्जन के रूप में होगी।वजीफा केवल 30 दिन के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ही दिया जाएगा।
iii. मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों (एनआइएस) द्वारा पूर्व शिक्षार्जन की मान्यता(आरपीएल) के उद्देश्य से अलग मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे।

4. कार्यान्वयन का तरीका:

4.1 इस योजना को आयुष मंत्रालय के अधीन नोडल राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम पूरे भारत में लागू किया जाएगा।नोडल राष्ट्रीय संस्थानों/आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष क्षेत्र में कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए पात्र संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।इच्छुक संस्थान निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

4.2 प्रवेश क्षमता:

(i) हर बैच में अधिकतम 55 प्रशिक्षुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा।
(ii) आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों (एनआइएस) द्वारा विकसित किए जाने वाले कौशल पाठ्यक्रम मॉड्यूल में विशिष्ट कौशल पाठ्यक्रम के लिए प्रति बैच प्रशिक्षु की न्यूनतम और अधिकतम संख्या (55 से अधिक नहीं) का उल्लेख किया जाएगा।

4. 3 पाठ्यक्रमों का प्रकार: कौशल पाठ्यक्रमों की एक सांकेतिक सूची इस प्रकार है:-

i. डाल्क थेरेपी सहायक
ii. आपातकालीन प्रंबधन कोर्स।।।।
iii. जरा सहायक (बुजुर्गों की देखभाल करने वाला)
iv. प्रकृति विश्लेषक कोर्स
v. अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी
vi. आयुर्वैद पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को संवेदनशील बनाने के लिए कोर्स
vii. कपिंग थेरेपी सहायक
viii. सौंदर्य आयुर्वैद
ix. पंचकर्म परिचारक बेसिक कोर्स
x. वेलनेस के लिए योग विज्ञान में फाउंडेशन कोर्स
xi. क्षार कर्म तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम
xii. स्त्री प्रसूति स्थानीय प्रक्रियाओं में तकनीकी सहायक कोर्स

4.4 प्रशिक्षण के तरीके:

I. कक्षा प्रशिक्षण (ऑनलाइन मोड या फिजिकल मोड)
II. स्वयं शिक्षार्जन
III. पाठ्यक्रम परिचर्या के अनुसार 30 दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण

5. योजना की अवधि:

यह योजना प्रारंभ में 31.03.2022 तक जारी रहेगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकता है!

6. (क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड!

i. आयुष मंत्रालय के अधीन सभी स्वायत्त निकाय!

अथवा

ii. जैसा केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (नव स्थापित एनसीआईएसएम) और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (नव स्थापित एनसीएच) द्वारा परिभाषित किया जाए । संस्थान के पास पिछले लगातार 3 शैक्षिणिक वर्षो के दौरान सीसीआईएम एनसीआईएसएम /सीसीएच (एनसीएच) की अनुमति होनी चाहिए!

अथवा

iii. योग प्रमाणन बोर्ड (वाईसीबी), आयुष मंत्रालय के साथ पंजीकृत संस्थान संगठन (केवल योग कौशल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए)!
iv. आयुष मंत्रालय द्वारा चिह्नित कोई सरकारी संस्थान**!**

(ख) प्रशिक्षुओं के लिए पात्रता मानदंड :

जैसा कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नोडल राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विकसित पाठ्यक्रम विशिष्ट मॉड्यूल में परिभाषित किया गया है।

.7 चयन प्रक्रिया :

अंतिम चयन/स्वीकृति के लिए विचार करने से पहले, आवेदक संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी :

7.1 चरण-I: अनुभाग में प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच-

प्राप्त प्रस्ताव (निर्धारित प्रारूप में सभी संलग्नकों और सहायक दस्तावेजों के साथ) का मूल्यांकन मुख्य रूप से तकनीकी समिति (कार्यक्रम प्रबंधन इकाई) द्वारा किया जाएगा।प्रारंभिक जांच में योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाए गए प्रस्ताव(वों)/आवेदन(नों) को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और आवेदक संगठन को तदनुसार सूचित किया जाएगा।योजना के सभी दिशा-निर्देशों को पूरा करने वाले उपयुक्त पाए गए प्रस्तावों को परियोजना मूल्यांकन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

7.2 चरण-II: परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) :

7.2.1 तकनीकी समिति (पीएमयू) द्वारा लघु सूचीबद्ध प्रस्तावों का मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी), जिसका गठन निम्नानुसार होगा, द्वारा किया जाएगा:

क्र.सं.	**पीएसी का गठन**	**हैसियत/पदनाम**
i.	सलाहकार	अध्यक्ष
ii.	संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) के निदेशक।	सदस्य
iii.	आयुष शिक्षण संस्थान से एक प्रतिनिधि।	सदस्य
iv.	सीसीआईएम (नवगठित एनसीआइएसएम)/सीसीएच (नवगठित एनसीएच)/योग प्रमाणन बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में।	सदस्य
v.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से एक प्रतिनिधि।(निदेशक/उप सचिव के स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य
vi.	स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद के तहत आयुष पर उप परिषद से प्रतिनिधि।	सदस्य
vii.	योजना के प्रभारी निदेशक/उप सचिव/उप सलाहकार (आयुष मंत्रालय)	सदस्य-संयोजक
पीएसी के अध्यक्ष जरूरत पड़ने पर विशेष आमंत्रिती(यों) को भी आमंत्रित कर सकते हैं।		

7.2.2 यदि जरूरत पड़ी तो परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) आवेदक संस्था/एजेंसी को पीएसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित कर सकती है।

7.3 चरण-III: परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) :

7.3.1 पीएसी द्वारा अनुशंसित परियोजना प्रस्तावों पर परियोजना स्वीकृति समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, द्वारा अंतिम अनुमोदन/स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा:

क्र.सं.	**पीएससी का गठन**	**हैसियत/पदनाम**
i.	सचिव (आयुष)	अध्यक्ष
ii.	विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, आयुष जो भी मामला हो।	सदस्य
iii.	मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए)	सदस्य

iv.	सलाहकार (पीएसी के अध्यक्ष), आयुष मंत्रालय	सदस्य संयोजक
v.	स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद के तहत आयुष पर उप परिषद के अध्यक्ष।	सदस्य
vi.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से एक प्रतिनिधि। (निदेशक/उप सचिव के स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य

8. वित्तपोषण का तरीका:

8.1 योजना का वित्तपोषण योजना के तहत आवंटित बजट के माध्यम से किया जाएगा।

प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**प्रशिक्षु को दी जाने वाली आर्थिक सहायता**	**प्रशिक्षण संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता**
1.	वजीफा हेतु प्रति प्रतिभागी 5000 रुपये	i. 1 महीने तक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए -1 लाख रुपये ii. 1 महीने से अधिक से लेकर 2 महीने की अवधि तक के पाठ्यक्रम के लिए - 2 लाख रुपये iii. 2 महीने से अधिक से लेकर 3 महीने तक के पाठ्यक्रम के लिए - 3 लाख रुपये
2.	भोजन हेतु प्रति प्रतिभागी 3500 रुपये	
3.	पुस्तकों हेतु प्रति प्रतिभागी 500 रुपये	
कुल प्रति छात्र	9000 रुपये (प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दिए जाएंगे)	

8.2 03 वर्ष की अवधि में चयनित केंद्रों पर कुल 1818 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़े अनंतिम हैं और प्रतिबंधात्मक नहीं हैं। आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों की संख्या रुचि अभिव्यक्ति के अनुसार घट-बढ़ सकती है और ये परस्पर पर अदल-बदल कर भी हो सकते हैं।

9. आवेदन हेतु प्रक्रिया:

(क) **संस्था/एजेंसी द्वारा:** आवेदक संस्था निर्धारित प्रारूप में पूर्ण आवेदन जमा करेगी (केवल एक प्रति ऐसी हो जिसमें पृष्ठ संख्या डाली गई हो और स्पाइरल बाइंडिंग लगी हो)। आवेदन ई-मेल के माध्यम से पीडीएफ प्रारूप में भी भेजे जाएं।

(ख) **प्रशिक्षुओं द्वारा:** प्रशिक्षु सीधे संस्था में आवेदन करेंगे। संस्था शॉर्टलिस्ट किए गए प्रशिक्षुओं का डाटा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद के पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

10. निधियों को जारी करना:

10.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषजनक और सफलतापूर्वक पूरा होने और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रतिभागियों को वजीफा, भोजन, स्टेशनरी और पुस्तकों की राशि वितरित की

जाएगी।वजीफे का वितरण आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में नोडल राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वय से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

10.2 (i) आयुष मंत्रालय संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थानों को कार्यकलाप शुरू करने के लिए अग्रिम रूप से धनराशि जारी करेगा।इसके लिए, राष्ट्रीय संस्थान (एनआइएस) आयुष मंत्रालय को मांग पत्र भेजेंगे।

(ii) राष्ट्रीय संस्थानों (एनआइएस) द्वारा मंत्रालय को भेजे गए विभिन्न संस्थानों के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने पर संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा चयनित प्रशिक्षण संस्थानों/एजेंसियों को कुल प्रशासनिक लागत का 75 प्रतिशत जारी किया जाएगा।

(iii) शेष 25 प्रतिशत, प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाएगा बशर्ते कि सामान्य जांच और कोडल औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हों।

11. प्रशिक्षण देने में शामिल चयनित प्रशिक्षण संस्थानों/एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारी:

i. आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों और पाठ्यक्रम के अनुसारनियमित आधार पर और अनुकूल वातावरण में विनियमित तरीके से प्रशिक्षण का संचालन करना।
ii. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए अनिवार्य नियामक और अन्य निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना।
iii. आयुष मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रतिभागियों को सभी आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना।
iv. आयुष मंत्रालय के अंतर्गत चिन्हित नोडल राष्ट्रीय संस्थान को प्रशिक्षुओं का डाटा उपलब्ध कराना और आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित पोर्टल पर डाटा अपलोड करना।
v. यह सुनिश्चित करना कि आयुष क्षेत्र में प्रशिक्षण के संचालन के लिए भलीभांति प्रशिक्षित जनशक्ति, बुनियादी ढांचा, उपकरण, प्रयोगशालाओं आदि सहित सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं।
vi. कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद प्रतिभागियों से विधिवत रूप से भरे गए फीडबैक फॉर्म प्राप्त करेंगे और इन फीडबैक फॉर्म को आयुष मंत्रालय द्वारा यथा नामोद्दिष्ट/नामित संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थान(नों) या प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेंगे।
vii. आयुष मंत्रालय द्वारा यथा गठित निरीक्षण निकाय/दल द्वारा प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र के निरीक्षण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।
viii. सभी संलग्नकों के साथ विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना(निर्धारित प्रारूप में)।
ix. इस आशय का विधिवत नोटरी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना कि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को आवेदक एजेंसी के विरुद्ध किसी कानूनी या अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई आपराधिक कार्यवाही या अन्यथा लंबित या विचाराधीन नहीं है/काली सूची में नहीं है।
x. नियम और शर्तों का पालन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।
xi. यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता उच्च मानकों की है।

12. योजना का प्रबंधन:

12.1 यह योजना आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली में स्थापित केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), जिसके पास तकनीकी और प्रशासनिक दोनों जनशक्ति पर्याप्त संख्या में है, द्वारा लागू, प्रबंधित, निगरानी और संचालित की जाएगी। सीपीएमयू का ब्यौरा **संलग्नक-च** पर है।

13. निगरानी तंत्र:

क. संस्थानों/एजेंसियों को पैनल में से प्रशिक्षण देने के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी आयुष द्वारा अपने विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से या किसी एजेंसी को शामिल करके किया जाएगा।

ख. नोडल राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा गठित निगरानी दल ऐसे माध्यमों और संसाधनों के जरिए यह सुनिश्चित करेगा कि स्वत: आधार पर इस योजना के तहत प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं/एजेंसियों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि द्वारा कौशल निर्धारण कार्यक्रमों को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

ग. यह टीम सुनिश्चित करेगी कि आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों और पाठ्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित कौशल विकास प्रशिक्षणों का संचालन किया जाता है।

घ. टीम यह सुनिश्चित करेगी कि प्रशिक्षण विनियमित तरीके से और अनुकूल वातावरण में आयोजित किया जाता है।

14. तकनीकी सलाहकार पैनल:

14.1 आयुष पद्धतियों के विभिन्न विषयों और केंद्र/राज्य मंत्रालयों/विभागों, प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञों का एक पैनल भी बनाया जाएगा।ऐसे विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग समय-समय पर और मामले के आधार पर सलाह के लिए किया जाएगा।उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए मानदेय और यात्रा व्यय भी, यदि कोई हो, भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

15. परियोजना को पूरा करने के लिए समय सारणी:

15.1 यह योजना वर्तमान में 31.03.2022 तक वैध है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

15.2 मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान की यह जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित पाठ्यक्रम में यथा परिभाषित प्रत्येक प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए समय सारणी का पालन करे।

16. अपवाद खंड:

16.1 जब निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के मौजूदा प्रावधानों के तहत पैनल में शामिल प्रशिक्षण संस्थान(नों)/एजेंसी(यों) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाता है, तो प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य/बाध्यकारी होगा कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को अंतिम रूप से और निर्धारित समय से पूरा करे।

16.2 आयुष मंत्रालय के पास धोखाधड़ी या गलत बयानी और भ्रष्ट आचरण के आधार पर प्रशिक्षण संस्थान को विवर्जित करने का अधिकार होगा।ऐसे संस्थानों का पैनल निलंबित कर दिया जाएगा

और प्रशिक्षण कार्यक्रम को तत्काल रोक दिया जाएगा और आगे जैसा कि उचित समझा जाए, विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

16.3 पैनल में शामिल प्रशिक्षण संस्था(ओं) द्वारा किसी भी अनधिकृत आचरण पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।मंत्रालय को ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों के पैनल को निलंबित करने का अधिकार होगा।

17. लाभ:

कौशल विकास प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सुविधा होगी।

18. दण्ड:

यदि शपथ पत्र का उल्लंघन करते हुए या शपथ पत्र के किसी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, पैनल में शामिल प्रशिक्षण संस्था(एं) प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को अंतिम रूप से और निर्धारित समय से पूरा नहीं करती है/हैं, अपनी गतिविधियों को समय से पहले समाप्त कर देती है/हैं, बिना सूचना के समाप्त कर देती है/हैं, या गोपनीयता खंड सहित समझौते में निर्धारित दायित्वों का उल्लंघन, यदि कोई हो, करती है/हैं, तो संस्थाओं को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से उस तिथि तक प्राप्त धनराशि के बराबर जुर्माना देना होगा साथ ही खातों के निपटारे की तारीख तक उक्त राशि पर दंड स्वरूप 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा और यह भी कि आयुष मंत्रालय को शपथ पत्र के प्रचलन के दौरान उसे हुए और अधिक नुकसान का दावा करने का अधिकार होगा। संस्थान को काली सूची में भी डाला जाएगा।

19. न्यायालय क्षेत्राधिकार:

विवाद का यदि कोई मामले हो तो, वह दिल्ली/नई दिल्ली की अदालत के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

20. विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन निम्नलिखित को भेजा जाएगा:

(i) सलाहकार (आयुर्वेद), चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना चिकित्सीय महत्व यात्रा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय, कमरा नंबर 207, द्वितीय तल, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023।

अथवा

(ii) संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थान(नों) को।

* **

संलग्नक-क

प्रस्ताव में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं/सूचना की सूची:

1. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान का प्रोफाइल:

I. प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान(नों) के नाम और संक्षिप्त प्रोफाइल और संपर्क विवरण।

II. प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान के मौजूदा कार्यों की प्रकृति और स्थान।प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान(नों) का मूलाधार/कनेक्टिविटी की उपलब्धता और छात्रों की पहुंच के संदर्भ में स्थान।

III. कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता।

IV. पिछले 5 वर्षों का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र या चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) का प्रमाण पत्र जिससे प्रत्येक प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान का शुद्ध मूल्य प्रमाणत होता हो।

V. इस आशय का एक संक्षिप्त नोट कि प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान इस परियोजनाको शुरू करने, अपने दृष्टिकोण को आगे ले जाने आदि के लिए क्यों उत्सुक है/हैं।

VI. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान(नों) के पास आवास उपलब्ध होने के मामले में, बिक्री विलेख/पट्टा विलेख आदि के रूप में आवास के कब्जे का प्रमाण।

VII. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जो योजना के संदर्भ में प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान की साख और उपयुक्तता प्रमाणित करती हो।

2. परियोजना वित्त:

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक कुल वित्तीय सहायता की राशि 3.00 लाख रुपये (तीनलाख रुपये) प्रति प्रशिक्षण से अधिक नहीं है।

3. प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए मानदंड:-

I. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान की अवसंरचना के संदर्भ में भूमि, भवन और स्थान।

II. मुख्य सुविधाओं के संचालन, जनशक्ति की उपलब्धता (सुयोग्य और विशेषज्ञ शिक्षण/प्रशिक्षण संकाय) और सहायक कर्मचारियों के संदर्भ में शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान की परियोजना की व्यवहार्यता।

III. विभिन्न केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों आदि के विगत के और मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान का अनुभव और उसकी स्थिति।

IV. पिछले 05 वर्षों के दौरान प्लेसमेंट सहित प्रशिक्षण संस्थानों की प्रमुख उपलब्धियां।

* * *

संलग्नक – ख

चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत आयुष क्षेत्र में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्था को पैनल में शामिल करने के लिए आवेदन पत्र

1. संगठन/संस्था का नाम:
2. पता/ई-मेल/फोन:
3. रजिस्ट्रेशन नं. और तारीख: (सोसायटी/गैर-सरकारी संगठन/ट्रस्ट/कंपनी अधिनियम के रूप में)
4. पिछले पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों का सार:
5. आयोजित किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रम का नाम:
6. संलग्नक-छ के अनुसार प्रस्ताव का बिंदुवार कार्यकारी सारांश (पांच पृष्ठों से अधिक नहीं)।
7. संलग्नक-ग में जांच-सूची के अनुसार दस्तावेज।
8. संस्था की स्थापना का वर्ष।

हस्ताक्षर
(संगठन के प्रमुख/अधिकृत अधिकारी का नाम और मुहर)

***

संलग्नक-ग

जांच सूची

चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत कौशल विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना

(कृपया संबंधित कॉलम में प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों (हां/नहीं) पर सही का निशान लगाएं

क्रम	दस्तावेजों/सूचनाओं की सूची	दस्तावेज़ (ओं)	यदि कोई

सं.	(दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं)	की जानकारी दी गई		टिप्पणी हो। कोई भी
		हां	नहीं	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निर्धारित प्रारूप में आवेदन।			
2.	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम / ट्रस्ट / कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति			
3.	संस्थान के उपनियमों की सत्यापित प्रति।			
4.	आवेदक की आय और व्यय, संपत्ति, देनदारियों को दर्शाने वाले पिछले 5 वर्षों के खातों के लेखा परीक्षित विवरण की सत्यापित प्रतियां जो प्रशिक्षण के निवल मूल्य को स्थापित करती हों।			
5	केंद्र / राज्य सरकार / नियामक निकाय के साथ शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।			
6	योजना के सभी नियम व शर्तों के अनुपालन, स्वीकृति पत्र, जीएफआर, घटकवार अनुमोदित परियोजना लागत और परियोजना के तहत हासिल किये जाने वाली वर्षवार प्रदेयताओं की 100 रूपये के स्टाम पेपर पर विधिवत नोटरी किये बंध-पत्र। बंध-पत्र की वैधता 3 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। **(संलग्नक-घ)**			
7	स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं/क्षेत्र (आयुष क्षेत्र सहित) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में प्रशिक्षण संस्थान के अनुभव का प्रमाण पत्र।			
8.	100/- रु. के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी प्रमाण पत्र कि अनुबंध-ङ में दिए गए प्रारूप के अनुसार किसी कानूनी या अन्य प्राधिकारी/नियामक प्राधिकारी द्वारा कोई आपराधिक कार्यवाही या अन्यथा लंबित या विचारित नहीं है।			
9.	पिछले 1 वर्ष के बैंक विवरण सहित खाते का विवरण.			
10.	परियोजना विवरण, स्वीकृतियों का विवरण और तिथि (ओं) आदि और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी)/उसकी वर्तमान स्थिति के विवरण के साथ सरकार/विदेश सरकार से ली गई कोई भी सहायता/जीआईए;			

11	मौजूदा बुनियादी ढांचे का विवरण:			
12.	तकनीकी और अन्य कार्यों का विवरण; क्रम सं. | नाम | पदनाम | तैनाती की तारीख			
13.	पिछले पांच वर्षों के दौरान संगठन की पिछली गतिविधियां और उपलब्धियां (वर्ष-वार)			
14.	इस बात का औचित्य कि क्यों प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान/इस परियोजना को शुरू करने का/के इच्छुक है/हैं, उनका दृष्टिकोण आदि।			
15.	संगठन/संस्थान के पास उपलब्ध आवास के मामले में बिक्री विलेख/पट्टा विलेख के रूप में भूमि/आवास के कब्जे का प्रमाण।			
16.	बिजली, पानी, शिक्षण संकाय, सहायक स्टाफ, उपकरण/प्रयोगशाला आदि सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का प्रमाण।			
17.	सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग से कनेक्टिविटी की उपलब्धता और छात्रों की आमद के संदर्भ में प्रस्तावित शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थान की जगह का औचित्य।			
20.	योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक कुल वित्तीय सहायता की राशि।			
21.	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जो योजना के संदर्भ में संस्थान की साख और उपयुक्तता स्थापित करें।			

संलग्नक- घ

(100 रुपये के स्टांप पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा)

बंध-पत्र का प्रारूप

इस बंध-पत्र द्वारा सभी को ज्ञात हो कि हम,_____

_____ (पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार संगठन का नाम), जो_____ (पंजीकरण अधिनियम का नाम) के अधीन पंजीकृत एक संगठन है जिसे _____ (पंजीकरण प्राधिकरण का नाम और पूरा पता) के कार्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या_____दिनांक_____के तहत पंजीकृत किया गया है और जिसका कार्यालय_____ राज्य में_____स्थित है (जिसे इसमें आगे बाध्यताधारी कहा गया है) दिनांक के आवेदन द्वारा आवेदित (अंकों में) रुपए . (शब्दों में) रुपए की संपूर्ण राशि के लिए इस बंध-पत्र को आयुष मंत्रालय के पक्ष में निष्पादित करने हेतु भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसमें आगे भारत सरकार कहा गया है) के प्रति वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं।

तथापि, यह बाध्यताधारी प्रस्तावित राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किसी अन्य राशि को स्वीकार करने के लिए तैयार है।बाध्यताधारी स्वेच्छा से प्रस्तावित राशि के इस बंध-पत्र को इस शर्त के साथ निष्पादित कर रहा है कि बाध्यताधारी इस राशि तक या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत वास्तविक राशि, जो भी कम हो, के लिए बाध्यकारी होगा।बाध्यताधारी जीएफआर के अनुसार या अन्यथा अनुमोदित परियोजना लागत और वर्षवार वितरण प्राप्त करने के लिए स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, जिसमें सरकार द्वारा जारी की जाने वाली पूरी स्वीकृत राशि को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष (बारह प्रतिशत प्रति वर्ष) ब्याज के साथ धन के दुरुपयोग/अन्यत्र उपयोग या किसी अन्य कारण से ब्याज के साथ वापस करना शामिल है।

2. उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि यदि बाध्यताधारी स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को सम्यकत: पूरा करते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, तो उक्त लिखित बंध-पत्र या बाध्यताएं शून्य और निष्प्रभावी हो जाएंगी अन्यथा, यह पूर्णत: प्रवृत्त और बलशील रहेंगी।यदि अनुदान/जारी की गई धनराशि का कोई भाग उस अवधि के, जिसके भीतर उसका खर्च किया जाना है, अवसान के पश्चात् शेष रह जाता है तो,बाध्यताधारी ऐसे अवशेष की राशि को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित प्रतिदाय करने का करार करते हैं, जब तक कि स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी इसे अगले वित्तीय वर्ष में शामिल करने के लिए सहमत न हो। अनुदान की राशि उस पर अर्जित ब्याज के साथ वापस की जाएगी।

3. संगठन/सोसायटी/न्यास यह करार और वचन-बंध करता है कि वह भारत सरकार को ऐसे धन संबंधी मूल्य या अन्य लाभ अभ्यर्पित/संदत्त कर देगा जो उसे परिसर का अनधिकृत प्रयोग (जैसे परिसर को पर्याप्त या पर्याप्त से कम प्रतिफल पर किराए पर देना या परिसर का किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग) करने से, और धनराशि का उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयोग करने से, जिसके लिए अनुदान सहायता/जारी धनराशि आशयित थी (अर्थात वह राशि जो परियोजना/अवसंरचना/उपकरण/जनशक्ति आदि की स्थापना के लिए जारी की गई थी) या सरकारी अनुदान/जारी धनराशि से मुख्य रूप से सृजित/अधिग्रहीत/निर्मित अन्य परिसंपत्तियों से, प्राप्त या व्युत्पन्न होते हों/के माध्यम से प्राप्त या व्युत्पन्न हुए हों। सरकार को अभ्यर्पित/संदत्त किए जाने वाले पूर्वोक्त धन संबंधी मूल्य के सभी मामलों में आयुष मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव या संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रमुख का विनिश्चय अंतिम और संगठन/सोसायटी/न्यास पर बाध्यकारी होगा।

4. अनुदानग्राहियों की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य:-

(क) स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट लक्ष्य तिथियों द्वारा जारी अनुदान सहायता/ धनराशि की शर्तों का पालन करेंगे; और

(ख) अनुदान का भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेंगे या योजना का निष्पादन या संबंधित कार्य अन्य संस्था/संस्थाओं या संगठन/संगठनों को नहीं सौपेंगे; और

(ग) जारी की गई अनुदान-सहायता/धनराशि को अधिशासित करने वाले समझौते में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों का पालन करेंगे।

5. और यह बंध-पत्र इस बात का भी साक्षी है कि:-

इस प्रश्न पर कि स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किसी निबंध या शर्त या भाग का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, आयुष मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का विनिश्चय अंतिम और बाध्यताधारियों पर आबद्धकर होगा; और

इसके साक्ष्य स्वरूप, यह बंध-पत्र बाध्यताधारियों के शासी निकाय/कार्यकारी समिति द्वारा पारित संकल्प संख्या ----------तिथि---------- के अधीन और उसके अनुसरण में बाध्यताधारियों की ओर से ऊपर लिखी तारीख को निष्पादित किया गया।

वर्ष _____ की_____तारीख को हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर _____

अध्यक्ष/सचिव का नाम _____

तिथि और स्टांप _____

पंजीकृत रूप में बाध्यताधारी संघ का नाम.

पूर्ण डाक पता _____

टेलीफोन नंबर/मोबाइल नं._____

ईमेल पता _____ फैक्स नंबर.

(की उपस्थिति में) गवाह का नाम, पता, हस्ताक्षर और तारीख.

टिप्पणी: प्रत्येक पृष्ठ पर तारीख के साथ अनुदानग्राही के अध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए।

आयुष मंत्रालय के आधिकारिक उपयोग के लिए

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकार किया गया

हस्ताक्षर

अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक- ङ

संगठन के प्रमुख से आवेदन के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक है

प्रमाणित किया जाता है कि:

क.संगठन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी 'नियमों और शर्तों' का पालन करेगा।

ख.परियोजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड और रिपोर्ट अलग-अलग रखे गये हैं और आयुष मंत्रालय या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जब भी आवश्यक हो, दिखाया और प्रस्तुत किया जाएगा।

ग. आयुष मंत्रालय के विवेक पर परियोजना भौतिक प्रगति के मूल्यांकन और निधियों के उपयोग के लिए खुली होगी।

घ. अधोहस्ताक्षरी आवेदन और प्रस्ताव में दी गई जानकारी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होंगे।

ङ. आयुष मंत्रालय को परियोजना के अनुदान की मंजूरी के नियमों और शर्तों से किसी भी चूक या विचलन के लिए वित्तीय सहायता की राशि जारी करने की तारीख से 12% ब्याज के साथ प्रदान की गई वित्तीय सहायता की वसूली का अधिकार होगा औरकिसी मामले या तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाने पर कोई अन्य कार्रवाई भी कर सकेगा।

च. लेखा:- परियोजना के लिए अलग लेखा रखा जायेगा।

छ. किसी भी कानूनी या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित या अन्यथा लंबित या विचाराधीन नहीं है।

हस्ताक्षर
संगठन के प्रमुख का नाम और मोहर
फोन नंबर.....
फ़ैक्स नंबर.....
ईमेल:----------

संलग्नक-च

केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की संरचना

क्रम सं.	**पद का नाम**	**पदों की संख्या**	**मासिक पारिश्रमिक (रुपये में).)**	**आयु सीमा**	**मासिक पारिश्रमिक (रुपये में)**
1.	वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक (तकनीकी)	01	75000/- संतोषजनक	समाचार पत्र में विज्ञापन की	आईएमसीसीअधिनियम, 1970 / एचसीसीअधिनियम, 1973 के तहत

			निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।	तिथि से 50 वर्ष से अधिक नहीं	मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी किसी भी प्रणाली में स्नातकोत्तर और आईएसएम / होम्योपैथी के लिए राज्य रजिस्टर में नामांकित हों। **वांछनीय:** i. स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद या शैक्षिक प्रशिक्षण महानिदेशालय में काम करने का 2 साल का अनुभव ii. राज्य विभाग / मंत्रालय / अनुसंधान परिषद / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने 2 साल का अनुभव।
2.	कनिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक (तकनीकी)	02	50000/- संतोषजनक निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।	**समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि से 50 वर्ष से अधिक नहीं**	आवश्यक योग्यता: आईएमसीसी अधिनियम, 1970 / एचसीसी अधिनियम, 1973 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से किसी भी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी प्रणाली में स्नातक और आईएसएम / होम्योपैथी के लिए राज्य रजिस्टर में नामांकित हों। **वांछनीय:** किसी भी राज्य विभाग/मंत्रालय/अनुसंधान परिषदों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 3 साल तक काम करने का अनुभव।
3.	कार्यक्रम प्रबंधक (प्रशासनिक)	02	**50000/-** संतोषजनक निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक	**समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि से 50 वर्ष से अधिक नहीं**	**आवश्यक योग्यता:** एमबीए (एचआर/विदेशी व्यापार/पर्यटन/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) –02

			वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना है।		**वांछनीय:** विशेषज्ञता के इस संबंधित क्षेत्र में किसी भी राज्य विभाग / मंत्रालय / अनुसंधान परिषदों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2 साल के लिए काम करने का अनुभव।
4.	डेटा सहायक	01	**20000/-** संतोषजनक निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना है।	**समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि को 40 वर्ष से अधिक नहीं**	**आवश्यक योग्यता:** i. कंप्यूटर एप्लीकेशन / आईटी के अच्छे ज्ञान के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक। ii. एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर प्वाइंट और एमएस एक्सेल और अन्य कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान। iii. अच्छी टाइपिंग स्पीड यथा अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट।
5.	मल्टी–टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	01	**16000/-** संतोषजनक निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना है।	**समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि से 40 वर्ष से अधिक नहीं**	**योग्यता:** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष

टिप्पणी: लागू होने पर टीडीएस और अन्य कर लगाए जाएंगे।

संलग्नक-छ

अधिशासी सारांश प्रपत्र:

1. संस्थान का नाम

2. संपर्क विवरण

3. संबद्धता

4. स्थापना का वर्ष

5. कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने का पिछला अनुभव, यदि हां, तो उसका विवरण।

6. क्या स्वयं का एएसयू एंड एच अस्पताल है या प्रशिक्षण देने के लिए किसी एएसयू एंड एच अस्पताल के साथ गठजोड़ है।

7. पिछले पांच वर्षों का लेखा परीक्षित खाता पत्रक।

8. पिछले एक साल का खाता विवरण।

9. उस पाठ्यक्रम का नाम जिसमें कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना है

10. कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए संबंधित विभाग में उपलब्ध अवसंरचना/जनशक्ति।

11. क्या आवास की सुविधा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।